वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

क्रमांकः—वमखुविवि / कुस / 26 / 471 दिनांकः— 01-06-26

1. निदेशक, समस्त क्षेत्रीय केन्द्र
2. निदेशक, ई0एम0पी0सी0

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा।

विषयः—प्रवेश के सम्बन्ध में भ्रामक प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी पब्लिक नोटिस दिनांक 23.05.26

महोदय,

विषयान्तर्गत उल्लेखित पब्लिक नोटिस संलग्न कर लेख है कि संलग्न नोटिस को छात्रों की जानकारी के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें एवं ई0एम0पी0सी0 विभाग द्वारा उक्त नोटिस को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रवेश सत्र जारी रहने तक प्रदर्शित रखें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (14) शिक्षा–4/2024– 03693 पार्ट 2 जयपुर, दिनांकः ई–हस्ताक्षरित

<u>पब्लिक नोटिस</u>

वर्तमान में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रगति पर है। स्वयं घोषित एवं अमान्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार–प्रसार से छात्र–छात्राओं के बचाव के लिए प्रारंभिक स्तर पर जागरूकता एवं निवारक उपाय छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अतः यूजीसी के दिशा–निर्देश अनुसार छात्र–छात्रों के नवीन सत्र 2026–2027 से संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. कक्षा X एवं XII के छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षकों को सलाह दी जाती है कि फर्जी एवं अमान्य संस्थानो/विश्वविद्यालयों में प्रवेश ना ले।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) की मान्यता की स्थिति की जाँच यूजीसी की अधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर जाकर, मुख्य मेन्यू में उपलब्ध "HEIs" टैब के माध्यम से करें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सार्वजनिक सूचना दिनांक 18.03.2025 पालना सुनिश्चित की जावें।

छात्रों को अमान्य संस्थानो/विश्वविद्यालयाके प्रवेश से बचाव के उद्देश्य से एक लघु वीडियो भी प्रसारित किया गया है जिसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता हैं :

http://drive.google.com/drive/folders/13IbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive

भवदीय,

(डॉ. मुकेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, मा० उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों(HEIs), महाविद्यालय, शिक्षा बोर्डों तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपरोक्त दिशा–निर्देशों का व्यापक प्रसार किये जाने का श्रम करावें।
5. कुलसचिव, राज्य वित्तपोषित/निजी विश्वविद्यालय राजस्थान।
6. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पब्लिक नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar Sharma
Designation : Joint Secretary
Date: 2026.05.23 17:02:46 IST

RajKaj Ref No.: 22269337